उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
ई0प0सं0–91414
संख्याः 364899 / 2026 / XXVII(9) / 02 / अधि0प्रा0 / 2024 / टी0सी0
देहरादूनः दिनांक 27 जनवरी, 2026

अधिसूचना

राज्यपाल ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2025 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थातः–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1)इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) (संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

नियम 3.6.1.ii का संशोधन

2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2025 (जिसे यहॉ आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3.6.1.ii के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ii. इन दरों का शासन द्वारा समय –समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता है। निविदा प्रतिभूति को शासन/ प्राधिकरण के नाम पर बैंक ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी (ई–बैंक गारंटी सहित) आदि के रूप में बंधक रखा जायेगा अथवा ई–बैंकिंग (यदि कोई हो) के माध्यम से जैसा भी सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि तथा क्रेता के हितों	ii. इन दरों का शासन द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता है। निविदा प्रतिभूति को शासन/प्राधिकरण के नाम पर बैंक ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंक गारंटी (ई–बैंक गारंटी सहित) या इंश्योरेंस सियोरिटी बॉण्ड आदि के रूप में बंधक रखा जायेगा अथवा ई–बैंकिंग (यदि कोई हो) के माध्यम से जैसा भी सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि तथा क्रेता के हितों की सभी प्रकार से सुरक्षा हेतु आवश्यक हो, जमा किया जा सकेगा।

File No. FIN9-SR/M/17/2024-XXVII-9-Finance Department-Part(1) (Computer No. 91414)
Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 27/01/2026 12:09 pm

की सभी प्रकार से सुरक्षा हेतु आवश्यक हो, जमा किया जा सकेगा। सामान्यतः निविदा प्रतिभूति की वैधता निविदा की अंतिम वैध अवधि के पश्चात् 45 दिन होगी परंतु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

सामान्यतः निविदा प्रतिभूति की वैधता निविदा की अंतिम वैध अवधि के पश्चात् 45 दिन होगी परंतु इस अवधि को आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

नियम 3.6.2.ii का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 3.6.2.ii के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
ii कार्यपूर्ति प्रतिभूति वाणिज्यिक बैंक से निर्गत आदाता के नाम (एकाउंट पेई) डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी आदि, जिस स्वरूप में विभाग/सक्षम प्राधिकारी के हित सभी प्रकार से सुरक्षित करने हेतु आवश्यक हो, ली जाये एवं उसकी सत्यता को सत्यापित कर लिया जाय।	ii कार्यपूर्ति प्रतिभूति वाणिज्यिक बैंक से निर्गत आदाता के नाम (एकाउंट पेई) डिमांड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंक गारंटी या इंश्योरेंस सियोरिटी बॉण्ड आदि, जिस स्वरूप में विभाग/सक्षम प्राधिकारी के हित सभी प्रकार से सुरक्षित करने हेतु आवश्यक हो, ली जाये एवं उसकी सत्यता को सत्यापित कर लिया जाय।

Digitally signed by
Dilip Jawalkar
Date: 26-01-2026
19:39:44

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या–364899 (1)/2026/XXVII(9)/02/अधि0प्रा0/2024 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
7. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल।

File No. FIN9-SR/M/17/2024-XXVII-9-Finance Department-Part(1) (Computer No. 91414)
Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 27/01/2026 12:09 pm

9. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
10. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली 2025 की 100 प्रतियाँ राजपत्र में प्रकाशित करते हुए वित्त अनुभाग–9, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

Digitally signed by Ganga Prasad
Date: 27-01-2026 10:15:31

आज्ञा से,
(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

File No. FIN9-SR/M/17/2024-XXVII-9-Finance Department-Part(1) (Computer No. 91414)
Generated from eOffice by ARUNA CHOUDHARY, SO-AC-FINANCE 9, SECTION OFFICER, Finance Department on 27/01/2026 12:09 pm